कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक, मध्यप्रदेश.

क्रमांक/3127/तकनीको/2010 भोपाल, दिनांक 10/12/2010

प्रति,

समस्त जिला पंजीयक,
समस्त उप पंजीयक,
मध्यप्रदेश ।

विषयः—संदेहास्पद संव्यवहारों के मुख्त्यारनामें एवं विक्रय विलेखों का पंजीयन कराने बाबत् ।

संदर्भः—इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 2211/तक/2010 दिनांक 12/8/09 तथा 1081/तक/2010 दिनांक 7/4/2010.

उपर्युक्त विषय पर कृपया संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें । उक्त पत्रों के माध्यम से छद्म सौदों के दस्तावेजों के पंजीयन की गड़बड़ी को रोकने के उद्देश्य से सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए थे । उक्त निर्देशों के पश्चात् भी राज्य के कई जिलों में ऐसे कपटपूर्ण संव्यवहारों के दस्तावेज पंजीबद्ध किए गए हैं, जिससे प्रतीत होता है कि इनके पंजीयन में पर्याप्त सतर्कता नहीं बरती गई है । जैसे कि पी.ए.सी.एल. लि. नई दिल्ली द्वारा अपने प्रतिनिधियों के नाम से राजगढ़, रायसेन, विदिशा, श्योपुर आदि जिलो में फर्जी दस्तावेज पंजीबद्ध करवाये गए हैं ।

विदित हुआ है कि इस कपटपूर्ण संव्यवहारों में लिप्त गिरोह द्वारा अब मध्यप्रदेश के निवासी बनकर दस्तावेजों का पंजीयन कराया जा रहा है । बाकी modus operandi पूर्ववत हैं, जैसे नकली खसरा, नकली ऋण पुस्तिका, पहचान के लिए नकली परिचय--पत्र आदि प्रस्तुत करना ।

उक्त पृष्ठभूमि में दस्तावेजों के पंजीयन में विशेष सतर्कता बरतना आवश्यक है । अतः पुनः निर्देश दिए जाते हैं कि ऐसे मामलों मे संदर्भित पत्रों द्वारा पूर्व में इस कार्यालय से पंजीयन की प्रक्रिया के संबंध में जो निर्देश जारी किए गए थे, उनका कड़ाई से पालन किया जाये ।

महानिरीक्षक पंजीयन,
मध्यप्रदेश.